

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठस्थ अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठस्थ अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एन०

उपनाम

रमेश कुमार

बनाम

रामकुमार आदि

दावा बाबत :- EXTRACT

मुकदमा नम्बर :- 307/2021

निर्णय दिनांक :- 22-10-21

वादी की ओर से वकील

पुनमचन्द वर्मा

की व प्रतिवादी सं० 1 का ब की

ओर से वकील

अशोक कुमार वर्मा

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-10-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के सनस अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

पर आदेश दिया जाता है कि

रोही मिश्रा की खाता सं० 431/406 के मु० न० 224

किला न० 2/1, 22/1, मु० न० 225 किला न० 11 ता 14, 15/1, 16/1, 17 ता 22

23/1, 24/1, 25/1, मु० न० 226 किला न० 14 ता 17, मु० न० 236 किला न०

1, 2/1, 3/1, 4/1, 5 मु० न० 237 किला न० 1, 2, 3/1, 7/2, 8/2, 9, 10

मु० न० 67420 ई०, वाराणसी 6 न० 040 ई०, गैंगु रास्ता 0.0380 ई० वाराणसी

खातेदारी, ह्युमि अमि प्रतिवादी सं० 1 रामकुमार के नाम राफस्व रिजॉर्ड

के वजह से प्रतिवादी सं० का नाम कलमपत्र किया जाकर

वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 का वदिरसा बराबर के खातेदार का नाम

बोधित किया जावे है मुझ प्रतिवादी सं० 1, 4 ता 6 ने अपना समर्थन

हल वदिरसा वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के मुझ के ल्याग कर

अन्य कर लिया है इसी लिए ल्याग किया गये हिससे पर मुझीन

विभागा का दाय मुझीन मुलक एवं स्वाम्य 3321 अया मल

व अदि ह्युमि मुझीन वक के रखे है तो हवन मुक ह्युमि के उपरान्ती

हो राफस्व रिजॉर्ड के अमल पराफर किया जाये राफानामा के

डिक्री का काग पहा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)



R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा, नजिरा (व्यवसाय)

प्र.गा. के संग अ.-2021

कैम्प